

38/5/18

पत्रावली पेश हुई। वादी/वादीगण का बंद पत्र प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 512 RTI के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बंद तामिल तकमीलु वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/विपक्षीगण दिनांक 13/6/18 को पेश हो।

18 मुठगणवा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) रायपुर

13/6/18

जगावली रणसुव पोपु इराप्रा व्याय
आपके इतर इतर सेवा केन्द्र बालवा
पेश इती पार्थी के अतिवक्ता उपदिष्टाई
विपक्षी वाक्पुत्र सूचना के उपदिष्टत
नहीं है। इतर इतर खिलापु एक तरफा
कार्यवाही की जाती है। पार्थी के अतिवक्ता
की एक तरफा कहरस कुणी गयी तथा
कहरस पर मजबूत किया गया। ग्राम बालवा
तहसील रायपुर की इति कारणी इर
1753 खण्ड 0.20 हेर को कर्बाद नहीं
1077
करे न थोहरा नही काड को नही फाटे
ए आने जाने के रास्ते व बानी के
कोरे को कन्द नथे करे और पार्थी
के शास्त्री शक्ति कहे काश्त में किसी
एक उकार इरप्रायरी नथे करने की वस्थत
निषेधात्त विरुद्ध विपक्षी तर्फे मजबूत कारवाही
करावली एक जारी की जाती है।

✍

16. [Stamp]

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
हुकम की ता
में जारी हुए

उक्त पत्रावली मूल पत्रावली क्रम ५॥१४ के
साथ संलग्न की जावे। काद शशबला
पत्रावली विधि सुमार खण्ड नम्बर
से काम हो।

विधि सुचारु गया।

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)